Velfare Dept., Bi...
...elfare Dept., Bihar

Sanction Order No. /2018-19

3/यो0-33/2018

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2018-19) 08

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -......10/5/18.....

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिर से जुड़े जुड़वा बहनों सबा एवं फरहा शकील को सहायता के तहत रू 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त् विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त जुड़वा सबा एवं फरहा शकील, पिता- मो0 शकील अहमद, ग्राम-समनपुरा, राजा बाजार पो0 वेटनरी कॉलेज, जिला पटना को 5000/- रू0 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दिये जाने का न्यायादेश प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा सबा एवं फरहा शकील की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1 सितम्बर, 2015 से आर्थिक सहायता रू0 5000/- से प्रतिमाह बढ़ाकर रू0 20000/- प्रतिमाह किया गया है। वितीय वर्ष 2018-19 में सबा एवं फरहा शकील को 20000/- रू0 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु कुल 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	मूल बजट उपबंध
1	सिर से जुड़े जुड़वा बहनों सबा एवं फरहा शकील को सहायता	51-2235021020021	[illegible].40
	कुल 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार) मात्र		**[illegible].40**

2. निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि जिला पदाधिकारी, पटना को आवंटित किया जायेगा। जिला पदाधिकारी, पटना आवंटित राशि की निकासी कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना के माध्यम से सबा एवं फरहा शकील को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को उपलब्ध कराऐंगे। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से किया जायेगा। इसके

कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-33/2018 के टिप्पणी पृ0-.3../टि0 पर दिनांक-10/05/18 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 10/5/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-33/2018 08 पटना-15, दिनांक- 10/5/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना एवं सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-33/2018 08 पटना-15, दिनांक- 10/5/18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 10/5/18

सरकार के संयुक्त सचिव।